प्रेस विज्ञप्ति

प्राविधिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार पॉलीटेक्निकों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में कामगारों के लिए प्रवेश हेतु नीति बनाई गयी है, इसके माध्यम से इच्छुक युवा राजकीय पॉलीटेक्निक, कानपुर में इलैक्ट्रिक्ल इंजी0 , यांत्रिक इंजी0 प्रोडक्शन एवं इलेक्ट्रानिक्स इंजी0 में 13 अगस्त तक आवेदन करते हुए आवेदन फॉर्म को नि:शुल्क आशुलिपिक के पास जमा करा सकते हैं।

दाखिले के लिए कम से कम एक वर्ष का औद्योगिक अनुभव जरूरी है। साथ ही आवेदक जिस संस्थान में काम कर रहा होगा, वह पॉलीटेक्निक के 50 कि0मी0 के दायरे में होना चाहिए। आवेदकों को प्रवेश आवेदनों का सत्यापन कराने के बाद मेरिट के आधार पर दिया जायेगा। पाठ्यक्रम का संचालन शासन , प्राविधिक शिक्षा, निदेशालय, उ0प्र0 एवं प्राविधिक शिक्षा, परिषद ,उ0प्र0 के निर्देशानुसार किया जायेगा।

(मुकेश चन्द्र आनन्द)
प्रधानाचार्य

सेवा में–
सम्पादक महोदय,

दैनिक जागरण, अमर अजाला, हिन्दुस्तान, आज, अमृत विचार को इस अनुरोध के साथ कि जनहित में अपने प्रतिष्ठित दैनिक अखबार में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

(मुकेश चन्द्र आनन्द)
प्रधानाचार्य
11.8.25

डिप्लोमा पाठ्यक्रम में कामगारों (Working Professional) के लिए प्रवेश हेतु नीति

पाठ्यक्रम का नाम – तीन वर्षीय (अंशकालीन) डिप्लोमा इन इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रम (वर्किंग प्रोफशनल हेतु)

पाठ्यक्रम – लेटरल इन्ट्री में लागू पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम की अवधि – 03 वर्ष

पाठ्यक्रम की संख्या – प्रति संस्थान अधिकतम 03 पाठ्यक्रम

प्रवेश क्षमता प्रति पाठ्यक्रम – 30 (AICTE मानकानुसार)

पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु न्यूनतम प्रवेश संख्या– प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक तिहाई संख्या में प्रवेश अनिवार्य होगा।

अर्हता :

(i) शैक्षिक अर्हता : तीन वर्षीय नियमित पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक शैक्षिक अर्हता यथा हाईस्कूल/आई0टी0आई0 (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) उत्तीर्ण

(ii) अनुभव : कम से कम 01 वर्ष का औद्योगिक अनुभव

प्रवेश के लिए पात्रता :

केन्द्र/राज्य सरकार के उद्योगों, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड एवं एम0एस0एम0ई0 पंजीकृत उद्योगों में कार्यरत ऐसे कार्मिक जिनका उद्यम प्रवेश के लिए आवेदित संस्था से 50 कि0मी0 त्रिज्या में स्थित हो।

मेरिट का निर्धारण :

हाईस्कूल/समकक्ष – प्रथम श्रेणी – 50 अंक.
द्वितीय श्रेणी -- 40 अंक

तृतीय श्रेणी – 30 अंक

इण्टरमीडिएट/आई0टी0आई0 – 10 अंक

अनुभव : 01 वर्ष से अधिक 02 वर्ष से कम – 10 अंक

प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 05 अंक अधिकतम 30 अंक

अधिकतम अंक – 100

प्रवेश प्रक्रिया

1– प्रदेश के समस्त संस्थाओं में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों जिनमें प्रवेश सीधे द्वितीय वर्ष में उद्योगों केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी/एम0एस0एम0ई0 में पंजीकृत, उद्योगो के ऐसे कार्मिकों/कामगारों (Working Professional) को जो पूर्णकालिक रूप से कम से कम 01 वर्ष से उद्योग में कार्यरत हो तथा ए0आई0सी0टी0 द्वारा निर्धारित मानकों/शैक्षिक अर्हता को पूर्ण करते हो, के लिए प्रवेश मेरिट के आधार पर ए0आई0सी0टी0ई0 के प्राविधानों के अन्तर्गत अनुमन्य होगा। ये सीटे अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त होगी, जिनमें प्रवेश आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए दिया जायेगा तथा कक्षाये अतिरिक्त समय (सायं काल एवं साप्ताहिक अवकाश/अवकाश) में संचालित की जायेगी।

2– आगामी शैक्षिक सत्र 2025–26 से सभी संस्थाओं में प्रवेश हेतु विज्ञापन, माह अप्रैल में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा प्रकाशित कराया जायेगा।

3– प्रवेश हेतु आवेदन पत्र माह मई में सम्बन्धित संस्था द्वारा आमन्त्रित किये जायेगें तथा संस्था द्वारा इसकी विज्ञप्ति निःशुल्क दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।

4– सम्बन्धित संस्था द्वारा जून माह में प्रवेश समिति का गठन किया जायेगा, जो प्रपत्रों का परीक्षण कर मेरिट लिस्ट जारी कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद तथा आवेदक के सम्बन्धित प्रतिष्ठान को सूचित किया जायेगा। प्रवेश की अन्तिम तिथि 15 अगस्त होगी।

5– राजकीय/अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में उपर्युक्त पाठ्यक्रम स्व वित्तपोषित आधार पर चलाया जायेगा।

6– पाठ्यक्रम शुल्क का निर्धारण प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

7– पाठ्यक्रम संचालन हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/शासनादेश व न्यूनतम अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण होने के उपरान्त ही पाठ्यक्रम का संचालन किया जायेगा।

8– प्रवेश हेतु समय–समय पर ए0आई0सी0टी0ई0 प्रोसेस हैण्डबुक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन बाध्यकारी होगा।

[illegible]